न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 97/2006/223 आर टी ए

1. निम्मादेवी पत्नि माताराम (फौत)

1/1 राजूराम पुत्र निम्मा जाति मेघवाल निवासी विसरासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/2 रामस्वरूप पुत्र निम्मा जाति मेघवाल निवासी विसरासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/3 ओमप्रकाश पुत्र निम्मा जाति मेघवाल निवासी विसरासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/4 सिलोचना पुत्री निम्मा जाति मेघवाल निवासी विसरासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/5 लिक्ष्मी पुत्री निम्मा जाति मेघवाल निवासी विसरासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. फुली पुत्री डूंगर पत्नि हरखाराम जाति मेघवाल निवासी राणासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. रामेश्वर पुत्री श्योजी जाति मेघवाल निवासी विसरासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. लिखमा पुत्र श्योजी जाति मेघवाल निवासी विसरासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. चन्दूराम पुत्र बड़दाराम जाति बावरी (फौत)

4/1 मंगलाराम पुत्र चन्दूराम जाति बावरी निवासी विसरासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

4/2 केसरीसिंह पुत्र चन्दूराम जाति बावरी निवासी विसरासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

4/3 सुभाष पुत्र चन्दूराम जाति बावरी निवासी विसरासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

4/4 दलीप पुत्र चन्दूराम जाति बावरी निवासी विसरासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

4/5 कम्मा देवी पुत्री चन्दूराम जाति बावरी निवासी विसरासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

4/6 सन्तो देवी पुत्री चन्दूराम जाति बावरी निवासी विसरासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

4/7 काली देवी पुत्री चन्दूराम जाति बावरी निवासी विसरासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

4/8 बनारसी देवी पुत्री चन्दूराम जाति बावरी निवासी विसरासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

4/9 सन्तोष पुत्र चन्दूराम जाति बावरी निवासी विसरासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

4/10 बिदामी देवी पत्नि चन्दूराम जाति बावरी निवासी विसरासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

5. बिमला देवी पत्नि विजय सिंह जाति मेघवाल निवासी खतूरिया कॉलोनी बीकानेर।

6. कमला पत्नि रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी बाबूनगर बीकानेर।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2011 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्रकरण संख्या 200/2004 अनवानी निम्मादेवी बनाम फुली

उपस्थित :—

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांटस

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः—11.12.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाकर वाद वादिया खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे दावा प्रस्तुत होने पर रेस्पो0 सं. 1 ता 4 दिनांक 20.04.05 को उपस्थित आऐ तथा उसके बाद अनुपस्थित होने के कारण रेस्पो0 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी एवं विवादित भूमि को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत अपीलांट खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत पूर्णतः सिद्ध थी। अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा दावा खारिज करने का मुख्य आधार लिया है कि वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने का क्षेत्राधिकार लैण्ड होल्डर का है तथा विवाद होने पर भी इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नही है। कतई गलत धारणा कायम की गई है। चूंकि अपीलांटा वादिया द्वारा वसीयत के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत वसीयत पूर्णतः वैद्य है एवं प्रश्नगत वसीयत के अवैधानिक होने का ना तो अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे अंकित किया है एवं न ही इस प्रकार की कोई आपत्ति थी। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार ना होने संबंधी कोई विधिक एवं तार्किक कथन नही किये। दावा प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ द्वारा विवादित भूमि को रहन बैय व अन्य तरीके से मुन्तकिल ना किऐ जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध रेस्पो0 सं. 1 ता 4 जारी की थी एवं रेस्पो0 सं. 1 जरिये अभिभाषक दिनांक 20.04.05 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये है एवं विवादित भूमि पर स्थगन दिनांक 31.05.06 तक अपीलाधीन निर्णय पारित होने तक था परन्तु रेस्पो0 द्वारा जानबूझ कर स्थगन का ज्ञान होते हुए एवं जरिये वसीयत वादग्रस्त भूमि की अपीलांटा खातेदार होने के तथ्य को जानते हुए रेस्पो0 सं. 5 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.05.06 को दो बैयनामो खाता सं. 195 खसरा नं. 665 की 20 बीघा का पृथक से व दूसरा खाता सं. 195 के खसरा नं. 665 की 5.01 बीघा व खसरा नं. 705 की 5.16 बीघा कुल 30.17 बीघा दौराने वाद व स्थगन करवा दिये जबकि जरिये वसीयत अपीलांट विवादित भूमि की खातेदार थी। इस प्रकार उक्त बैयनामे प्रारम्भतः ही शून्य एवं अपीलांट के अधिकारो पर निष्प्रभावी है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1994 पेज 710, आरआरडी 1989 पेज 224 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त की जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के

समक्ष खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया था जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित करते हुए अपीलांट का वाद खारिज किया गया है। अपीलांट ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्टेट को पक्षकार बनाया गया और न ही अपील मे पक्षकार बनाया गया है। रेस्पो. द्वारा दावा लम्बित रहने के कारण अपने नाम दर्ज भूमि का बैचान किया गया है तथा उक्त बैचान करने का अधिकार रेस्पो0 को था। इसलिए अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1993 पेज 505, सीसीसी 2009 (3) पेज 133 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा वसीयत के आधार पर दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह उल्लेखित करते हुए दावा खारिज कर दिया कि विवादित भूमि की वसीयत डूंगरराम द्वारा वादी के पक्ष मे अवश्य करवाई गई परन्तु वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार लैण्ड होल्डर का है एवं वादिया को चाहिए था कि वह अपनी वसीयत को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर इंतकाल अपने नाम करवाने की कार्यवाही करती एवं वसीयत के संबंध मे किसी प्रकार का विवाद होने पर भी इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नही है। जबकि अपीलांट/वादिया वसीयत के आधार पर घोषणा का वाद प्रस्तुत कर घोषणात्मक आदेश पारित करवाने की अधिकारी है तथा उक्त घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय मे प्रस्तुत करने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय यह उल्लेखित करते हुए दावा खारिज कर देना कि वसीयत के संबंध मे इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नही है, यह आधार विधि के प्रावधानो के विपरीत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वसीयत के

आधार पर कृषि भूमि मे खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। रेस्पो0 सं. 1 को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के होते हुए तथा विवादित भूमि के संबंध मे वाद विचाराधीन होते हुए वादग्रस्त भूमि का बैयनामा निष्पादित करवाया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे स्थगन आदेश प्रभावी था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के संबंध मे विवेचन करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना आपेक्षित था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही होने के कारण तथा अपीलाधीन निर्णय विधिपूर्ण नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2006 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट को वसीयत के संबंध मे दस्तावेजी साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 20.12.2017 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ